न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अयोध्या
उपस्थितः–सुरेन्द्र मोहन सहाय,........(एच०जे०एस०)

J.O.Code-UP6117
सत्र परीक्षण संख्या-169/2016
Registration No.189/2016
CNR No.UPFZ01-001944-2016

राज्य उत्तर प्रदेश ....**अभियोजन पक्ष।**

प्रति

1. **उमेश प्रताप सिंह** आयु लगभग 40 वर्ष पुत्र श्री भानु प्रताप सिंह निवासी कनकपुर शिवदयालगंज, थाना नवावगंज, जनपद गोण्डा।
2. **शिवशंकर शुक्ला उर्फ ब्रजेश पाण्डेय उर्फ झीन** आयु लगभग 41 वर्ष पुत्र स्व० राधिका प्रसाद निवासी मोहनपुर, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा।

.............**अभियुक्तगण।**

मु०अ०सं० 74/2016
धारा 394, 307, 411, 420, 467, 468, 471 भा०द०वि०,थाना रौनाही,
जिला अयोध्या।

एवं

सत्र परीक्षण संख्या-179/2016
Registration No.205/2016
CNR No.UPFZ01-002003-2016

राज्य उत्तर प्रदेश ....**अभियोजन पक्ष।**

प्रति

शिवशंकर शुक्ला उर्फ ब्रजेश पाण्डेय उर्फ झीन आयु लगभग 41 वर्ष पुत्र स्व० राधिका प्रसाद निवासी मोहनपुर, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा। ....**अभियुक्त।**

मु०अ०सं० 84/2016
धारा-3/25 आर्म्स एक्ट,थाना-रौनाही,
जिला अयोध्या।

एवं

सत्र परीक्षण संख्या-180/2016
Registration No.206/2016
CNR No.UPFZ01-002004-2016

राज्य उत्तर प्रदेश ....अभियोजन पक्ष।

प्रति

उमेश प्रताप सिंह आयु लगभग 40 वर्ष पुत्र श्री भानु प्रताप सिंह निवासी कनकपुर शिवदयालगंज, थाना नवावगंज, जनपद गोण्डा।

. ...अभियुक्त।

Digitally signed by Surendra Mohan Sahay
Date: 2026.07.02 16:57:13 NPT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मु०अ०सं० 83/2016
धारा-3/25 आर्म्स एक्ट,थाना रौनाही,
जिला अयोध्या।

निर्णय

1. थाना रौनाही, जिला अयोध्या की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 74/2016, धारा 394, 307, 411, 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता, थाना रौनाही, जनपद अयोध्या में अभियुक्तगण **उमेश प्रताप सिंह** तथा **शिवशंकर शुक्ला उर्फ ब्रजेश पाण्डेय उर्फ झीन,** मुकदमा अपराध संख्या 84/2016, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना रौनाही, जनपद अयोध्या में अभियुक्त **शिवशंकर शुक्ला उर्फ ब्रजेश पाण्डेय उर्फ झीन** एवं मुकदमा अपराध संख्या 83/2016, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना रौनाही, जनपद अयोध्या में अभियुक्त **उमेश प्रताप सिंह** के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्रों पर मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा प्रकरण को सत्र सुपुर्द किये जाने के पश्चात इस न्यायालय द्वारा विचारण किया गया।

2. उपरोक्त तीनों सत्र परीक्षण वाद, अवर न्यायालय से कमिट होकर इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुए। चूंकि उपरोक्त तीनों सत्र परीक्षण वाद एक ही घटना से संबंधित हैं। चूंकि न्यायालय द्वारा तीनों सत्र परीक्षण वादों में समेकित साक्ष्य संकलित किया गया है। अतः उपरोक्त तीनों सत्र परीक्षण वाद समेकित साक्ष्य पर आधारित होने के कारण तीनों सत्र परीक्षण वादों में निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

3. संक्षेप मे अभियोजन कथानक के अनुसार वादीगण शिव वरदान वर्मा एवं घनश्याम शर्मा द्वारा दिनांक 14.03.2016 को हस्तलिखित तहरीर **प्रदर्श क 14** समक्ष थानाध्यक्ष, थाना रौनाही, जिला फैजाबाद इस आशय की प्रस्तुत की गई थी कि "केदारनाथ गुप्ता पुत्र श्री श्याम लाल गुप्ता निवासी लहरापुर पोस्ट परानापुर, परगना मंगलसी, तहसील सोहावल जिला फैजाबाद, घनश्याम शर्मा पुत्र उदयराज शर्मा निवासी सोखावा, पोस्ट बारून बाजार, परगना मंगलसी, तहसील सोहावल, जिला फैजाबाद एवं शिव वरदान वर्मा पुत्र श्री राम मिलन निवासी अजनाई तारा पिलखावां, तहसील सोहावल जिला फैजाबाद तीनों लोग **पंकज ट्रेडर्स सुचितागंज, सोहावल, फैजाबाद** में सर्विस करते हैं। दिनांक 14.03.2016 को हम तीनों लोग सुचितागंज से संजयगंज बाजार सामान देने व बकाया व नकदी लेने गये थे। संजय गंज बाजार से सामान वापसी में संजयगंज से सोहावल-सुचितागंज बाजार मार्ग पर अरथर के पास जामुन के पेड़ के आगे सड़क की बाईं ओर कुएं के पास दो अज्ञात लोग काली पल्सर मोटरसाइकिल से आये और गाड़ी टाटा 407 रजिस्टेशन नं 42T 3225 के सामने लाकर खड़ी करके तुरन्त गाड़ी के पास आकर ड्राइवर अर्थात शिव वरदान की कनपटी पर रिवाल्वर तान दिये व गाड़ी से हाथ डाल कर चाबी निकाल लिया। दोनों में एक जिसने रिवाल्वर ताना था, गमछा मुंह, सर पर बांधा था तथा दूसरे ने चेहरे पर गमछा बांधा था। इनमें एक गोरा व दूसरा सावला

था। रिवाल्वर ताने वाला व्यक्ति ने सेल्समेन केदारनाथ गुप्ता जो कि ड्राइवर के बगल बैठा था, उसे रिवाल्वर लगाकर सारा रूपया वसूली नकदी जो थी, छीन लिया और उसे गोली मार दी। जिससे वह घायल हो गया। तीन बार गोली मारा और पैसा रूपया व मोबाइल छीन कर भाग गये। ये घटना लगभग दिन 02.30 बजे दोपहर की है। शिव वरदान वर्मा जो कि ड्राइवर है और घनश्याम वर्मा जो कि हेल्पर है, दोनों सहम गये। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। सामान्य होने पर दोनों ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा करके उन अज्ञात लुटेरों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने की याचना की है।

4. वादी शिव वरदान वर्मा व घनश्याम शर्मा की हस्त लिखित तहरीर **प्रदर्श क 14** कागज सं० 4अ/6 के आधार पर थाना हाजा पर दिनांकित 14.03.2016 को प्रथम सूचना रिपोर्ट 74/2016 काली पल्सर सवार दो अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 394 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज की गई। जिसकी चिक एफ.आई.आर **प्रदर्श क 3** पत्रावली पर संलग्न है। उक्त मुकदमें की कायमी दिनांक 14.03.2016 को समय 15.30 बजे रोजनामचा आम संख्या 25 पर की गई है। कार्बन प्रति कायमी जी०डी०को को **प्रदर्श क 5** के रूप में प्रमाणित किया गया है।

5. प्रस्तुत प्रकरण में दौरान विवेचना, विवेचक प्रभारी निरीक्षक, कृष्ण कुमार गुप्ता, थाना रौनाही, जिला अयोध्या दिनांक 20.03.2016 को मय हमराह पुलिस बल मय सरकारी जीप UP 42 AG 0575 क्षेत्र की देखभाल व तलाश, दविश वांछित अपराधी में मामूर होकर सोहावल चौराहे पर मौजूद थे। मु0अ0सं0 74/2016 धारा 394 से सम्बन्धित चश्मदीद गवाहान ड्राइवर व हेल्पर (वादीगण) भी आ गये, जिनसे दिनांक 14.03.16 को अरथर के पास गोली मारकर लूट करने की घटना में शामिल अजात अभियुक्तगणो के बारे में बातचीत कर विचार विमर्श किया जा रहा था कि जरिए मुखविर खास सूचना मिली कि अरथर में गोली मारकर लूट करने वाले दो संदिग्ध व्यक्ति काले रंग की पल्सर मोटर साइकिल के साथ कटरौली नहर पुल के पास जुबेरगंज पशु बाजार से पशु बेचकर जाने वाले व्यापारियों से छिनैती करने के फिराक में खड़े है, जिनके पास असलहे भी हैं। ज्यादा संख्या में पुलिस बल के साथ जल्दी पहुंचा जाये तो उन्हें पकड़ा जा सकता है कि मूखवीर की सूचना पर अचानक कटरौली नहर पुल से करीब दो सौ मीटर पहले सरकारी जीप को खड़ी कर तथा इतनी ही दूर पहले स्वाट टीम प्रभारी मय टीम के अपने वाहन को किनारे खड़ी कर छिपते छिपाते जैसे ही कटरौली नहर पुल से गडहान नसीरपुर तिराहे के पास दोनों तरफ से पहुंचे कि हम पुलिस बल को देखते ही पल्सर मोटर साइकिल को मौके पर ही खडा छोड कर वहाँ बड़े दो व्यक्ति तेजी से पीछे मुडकर मडहा नसीपुर की तरफ भागने लगे, हम पुलिस बल भागते हुए व्यक्तियों को घेरने का प्रयास किए तो वो दोनो व्यक्ति रोड से पूरब पूरब गडढे में हडबडाकर गिर पडे कि हिकमत अमली से अपने को बचाते हुए दोनो व्यक्तियों को मौके पर ही आवश्यक न्यूनतम

बल प्रयोग कर पकड लिया गया। पकडे गये दोनों व्यक्तियों को साथ में आए चश्मदीद गवाहान शिव वरदान एवं घनश्याम ने चिल्लाकर कहा कि साहब यही वो दोनो आदमी है, जिन्होंने मेरे साथी सेल्समैन केदारनाथ गुप्ता को गोली मारकर रूपयों से भरा झोला छीनकर भाग गये थे इन दोनो के वजह से ही केदारनाथ आज भी ट्रॉमा सेन्टर लखनऊ में जिन्दगी और मौत जूझ रहा है, पकडे गये व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गई तो एक ने अपना नाम **उमेश सिंह** पुत्र भानु प्रताप सिंह निवासी ग्राम कनकपुर कटरा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा बताया। पहने हुए पैंट के दाहिने फेट में **खुसा एक अदद देशी पिस्टल मय मैगजीन के बरामद हुआ** मौके पर ही सावधानी पूर्वक पिस्टल से मैगजीन को अलग कर देखा गया तो मैगजीन में चार अदद जिन्दा कारतूस 7.65 बोर बरामद हुआ। पहने पैंट के दाहिने जेब से पांच हजार रूपया जिसमे पांच– पांच सौ के दस नोट एवं पहने शर्ट के जेब से तीन हजार आठ सौ रूपये जिसमें पांच–पांच सौ के सात नोट एवं सौ–सौ के तीन नोट है एवं दो अदद मोबाइल जिसमे एक सैमसंग कम्पनी तथा दूसरा मोबाइल नोकिया एवं दो ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ। बरामद असलहे कारतूस के सम्बन्ध में लाइसेन्स मांगने पर कोई कागजात नहीं दिखा सका। एवं बार बार माफी मांगने लगा पैसों के विषय में पूछने पर बताया कि साहब ये पैसे दिनांक 14/03/2016 को मैं व मेरे साथी शिव शंकर शुक्ला ने मिलकर संजय गंज बाजार से सोहावल के बीच में दोपहर करीब 02.30 बजे सेल्समैन को दो गोली, इसी असलहे से मारा था एवं एक गोली रिवाल्वर से जो शिव शंकर शुक्ला के पास है, उसने उसी सेल्समैन को मारा था और रूपयों से भरा झोला सेल्समैन से छीन लिया था हम दोनों ने उस छीने हुए रूपये को आपस में बाट लिया था, यही 8800 रूपये मेरे पास उस छिनैती का बचा है, शेष रूपये मैने खाने पीने आदि में खर्च कर दिया। रूपयों से भरे बैग के अलावा सेल्समैन की जेब से हम लोगो ने एक सैमसंग का मोबाइल व एक ड्राइविंग लाइसेन्स, उसी सेल्समैन का छीन लिया था, ड्राइविंग लाइसेन्स मेरी जेब में ही रह गया था व दोनों मोबाइल तथा ड्राइविंग लाइसेन्स अम्बेडकर नगर में दिनांक 04/12/2015 को शाम करीब 05 बजे इत्तिफाक गंज में कब्रिस्तान के पास एक पारले व्यवसायी को जो चार पहिया गाडी से था, उससे करीब एक लाख रूपये नगद व उक्त दोनों मोबाइल तथा ड्राइविंग लाइसेन्स इन्हीं असलहे से डरा कर छीने थे। उसके पैसे खर्च हो गये परन्तु मोबाइल व ड्राइविंग लाइसेन्स अभी तक मेरे पास ही है व संजय गंज के पास से छीना गया मोबाइल शिव शंकर शुक्ला के पास है एवं **दूसरे ने अपना नाम शिवशंकर शुक्ला उर्फ बृजेश पाण्डेय उर्फ झीन** पुत्र राधिका प्रसाद शुक्ला निवासी मोहनपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा बताया। दौरान जमा तलाशी एक अदद रिवाल्वर 32 बोर बरामद हुआ जिसको सावधानी पूर्वक सीखे हुए तरीके से खोलकर देखा गया तो उसकी चकरी में चार अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद हुआ एवं पहने पैण्ट की दाहिने जेब से पांच हजार

सात सौ पचास रूपये जिसमें पांच पांच सौ के दस नोट सौ सौ के सात नोट एंव 50 रूपये का एक नोट बरामद हुआ एवं पहने पैण्ट की बाए जेब से एक अदद सैमसंग की मोबाइल बरामद हुआ एवं मौके पर बजाज पल्सर काले रंग की मोटर साइकिल बरामद हुई जिसके पीछे नम्बर प्लेट पर नम्बर यूपी 32 डी एक्स 9956 अंकित है, बरामद हुई। बरामद असलहे व कारतूस के सम्बन्ध में लाइसेन्स मांगने पर कोई कागजात नहीं दिखा सका तथा अपनी गलती की बार बार मांफी मागते हुए बताया कि साहब इसी असलहे से मैने सेल्समैन को दिनांक 14/03/2016 को समय करीब 02.30 बजे दिन में ही संजयगंज से सोहावल जाने वाले रास्ते पर मैं व मेरा साथी उमेश ने इसी पल्सर गाडी से ओवरटेक करके टाटा 407 मालवाहक को रोककर रूपयों से भरा झोला छिनने का प्रयास कर रहा था सेल्समैन के असानी झोला न देने के कारण मैने भी इसी रिवाल्वर से सेल्समैन को एक गोली मारी थी, लूटे गये रूपयों को हम लोगो ने आपस मे बाट लिया था उसी लूट के मेरे पास पांच हजार सात सौ पचास रूपये बचे है, शेष रकम मैने खाने पीने व पेट्रोल आदि में खर्च कर दिया। बरामद मोबाइल के विषय में पूछने पर बताया कि साहब यह मोबाइल उसी दिन घटना के समय सेल्समैन की जेब से ड्राइविंग लाइसेन्स सहित निकाल लिया था ताकि वह कही फोन न कर सके और तब से मोबाइल मेरे पास ही है तथा बरामद मोटर साइकिल बजाज पल्सर के विषय में पूछने पर बताया कि साहब इस पल्सर पर जो नम्बर उस समय अप 32 डी एक्स 9956 पड़ा है वो मैने ही लिखवाया है, जो फर्जी है। घटना के समय हम लोग रजिस्ट्रेशन नं० अलग अलग डालते है, यह गाडी मैंने अपने दो अन्य साथियों के साथ नवम्बर माह वर्ष 2015 को ग्राम डढेला थाना कैसरगंज जिला बहराइच से लूटा था, तब से इस गाडी का इस्तेमाल हम लोग लूट छिनैती की घटनाओं को अंजाम देने के लिए करते है और कडाई से पूछने पर दोनों ने बताया कि साहब दिनांक 17.03.2016 को करीब 02.30 बजे दोपहर में समनपुर अम्बेडकरनगर में लेहडी का पुलिया के पास से एक व्यक्ति से करीब 25,000/ रूपये इन्हीं असलहों के बल पर लूट लिया था और वहां से रास्ते में आते समय इब्राहिमपुर अम्बेडकरनगर में बीज गोदाम के पास समय करीब 03.30 बजे उसी दिन इसी पल्सर बाइक से जाकर एक व्यक्ति से इन्ही असलहों के बल पर करीब एक लाख रूपये छीन लिए थे। पल्सर बाइक से एअरसेल सिम के वितरक का पीछा करते हुए उससे रूपयों से भरा बैग छीनने के चक्कर में सहादतगंज ओवर ब्रिज के नीचे फैजाबाद में ही दिनांक 29 फरवरी 2016 को सायं करीब 8 बजे तीन फायर इसी रिवाल्वर से उसके उपर झोक कर भाग गये थे। बैग नहीं छीन पाये थे और दिनांक 23 जनवरी 2016 को 11 बजे दिन में ही पालीटेक्निक स्कूल कैण्ट फैजाबाद में हम दोनो लोगों ने एक मोटर साइकिल सवार को धक्का देकर गिराकर इसी पिस्टल से धमकी देते हुए करीब सवा लाख रूपये छीन लिये थे। जनपद सुल्तानपुर में हम दोनो ने करीब दो महीने पहले चाँदा के पास एक व्यक्ति से

12,000/रूपये व सोने की चेन इन्ही असलहों के बल पर छीन लिए थे तथा 15 नवम्बर 2015 को मोतीगंज बीकापुर फैजाबाद के पास एक कार को रोककर करीब दो लाख रूपये इन्हीं असलहों के बल पर लूट लिए थे तथा दिनांक 19.03.2016 को कुमारगंज विश्वविद्यालय एस०वी०आई० बैंक से एक आदमी पैसा निकालकर साइकिल से जा रहा था जिसका पीछा कर सुनसान जगह देखकर उससे दस हजार रूपये छीन लिए थे, उसके द्वारा विरोध करने पर हम लोगो ने उसे डराने के लिए हवाई फायरिंग भी किया था। साहब हम लोग गलती कर दिये है हम लोगों को क्षमा कर दीजिए।

6. उक्त फर्द बरामदगी/तहरीर **प्रदर्श क 19** के आधार पर दिनांक 20.03.2016 को थाना रौनाही पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 83/2016 तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 84/2016 विरूद्ध **उमेश सिंह** व **शिव शंकर शुक्ला** के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम दर्ज की गई। जिसकी चिक एफ.आई.आर **प्रदर्श क 20** पत्रावली पर संलग्न है। विवेचना के उपरान्त अभियुक्त **उमेश सिंह** के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम आरोप पत्र **प्रदर्श क-8,** अभियुक्त **शिव शंकर शुक्ला उर्फ बृजेश पाण्डेय उर्फ झीन** के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम आरोप पत्र **प्रदर्श क-13** तथा अभियुक्तगण **उमेश सिंह** व **शिव शंकर शुक्ला उर्फ बृजेश पाण्डेय उर्फ झीन** के विरूद्ध मु०अ०सं० 74/2016 अन्तर्गत धारा 394, 307, 411, 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र **प्रदर्श क-16** के रूप में प्रस्तुत है।

7. न्यायालय द्वारा दिनांक 04.01.2017 को सत्र परीक्षण संख्या 169/2016 अपराध संख्या 74/2016 के प्रकरण में अभियुक्तगण **उमेश सिंह** व **शिव शंकर शुक्ला उर्फ बृजेश पाण्डेय उर्फ झीन** के विरूद्ध धारा 394, 307 सपठित धारा 34, 411, 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

8. न्यायालय द्वारा दिनांक 04.01.2017 को सत्र परीक्षण संख्या 180/2016 अपराध संख्या 83/2016 के प्रकरण में अभियुक्त **उमेश सिंह** के विरूद्ध धारा धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोपो से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

9. न्यायालय द्वारा दिनांक 04.01.2017 को सत्र परीक्षण संख्या 179/2016 अपराध संख्या 84/2016 के प्रकरण में अभियुक्त **शिव शंकर शुक्ला उर्फ बृजेश पाण्डेय उर्फ झीन** के विरूद्ध धारा धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोपो से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

10. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया हैः–

क्रम सं0	अभियोजन साक्षी संख्या	साक्षी का नाम
1.	पी0 डब्लू0-1	वादी शिव वरदान
2.	पी0 डब्लू0-2	चक्षुदर्शी साक्षी घनश्याम शर्मा
3.	पी0 डब्लू0-3	चक्षुदर्शी साक्षी केदारनाथ
4.	पी0 डब्लू0-4	डॉ राजेश दूबे EMO जिला चिकित्सालय, अयोध्या।
5.	पी0 डब्लू0-5	हे०का० नजमुद्दीन सिद्दीकी थाना रौनाही, अयोध्या।
6.	पी0 डब्लू0-6	उप०नि० अजय कुमार सिंह SOG प्रभारी रौनाही, अयोध्या।
7.	पी०डब्लू०-7	निरीक्षक कृष्ण कुमार गुप्ता थानाध्यक्ष थाना रौनाही, अयोध्या
8.	पी०डब्लू 8	उप०नि० रामेन्द्र प्रसाद वर्मा, थाना रौनाही, अयोध्या।
9.	पी०डब्लू 9	उप०नि० सन्तोष कुमार यादव, थाना रौनाही,अयोध्या।
10.	पी०डब्लू 10	कॉ०मोहर्रिर कमला कान्त, थाना रौनाही, अयोध्या।

11. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित अभिलेखों को प्रस्तुत किया गया है एवं उन्हें साबित कराया गया हैः–

क्रसं.	प्रदर्श सं0	प्रपत्र	साक्षी सं0 (साबितकर्ता)
1.	प्रदर्श क-1	इंजरी रिपोर्ट केदारनाथ गुप्ता	पी०डब्लू 4 डॉ राजेश दूबे
2.	प्रदर्श क-2	कार्बन प्रति कायमी जी०डी०	पी०डब्लू 5 हे०का० नजमुद्दीन सिद्दीकी
3.	प्रदर्श क-3	चिक एफ.आई.आर (अ०सं० 74/2016)	पी०डब्लू 5 हे०का० नजमुद्दीन सिद्दीकी
4.	प्रदर्श क-4	मूल कायमी जी०डी०विनष्टीकरण रिपोर्ट	पी०डब्लू 5 हे०का० नजमुद्दीन सिद्दीकी
5.	प्रदर्श क-5	मूल प्रति फर्द बरामदगी	पी०डब्लू 6 उ०नि० अजय कुमार सिंह
6.	प्रदर्श क-6	नक्शा नजरी बरामदगी स्थल (संबंधित अ० संख्या 83/16)	पी०डब्लू 8 रामेन्द्र प्रसाद वर्मा
7.	प्रदर्श क-7	अभियोजन स्वीकृति अ०सं० 83/16	पी०डब्लू 8 रामेन्द्र प्रसाद वर्मा
8.	प्रदर्श क-8	आरोप पत्र (अ०सं० 83/16)	पी०डब्लू 8 रामेन्द्र प्रसाद वर्मा
9.	प्रदर्श क-9	आरमोर्र परीक्षण रिपोर्ट अ०सं० 83/16	पी०डब्लू 8 रामेन्द्र प्रसाद वर्मा
10.	प्रदर्श क-10	नक्शा नजरी बरामदगी स्थल (संबंधित अ० संख्या 84/16)	पी०डब्लू 8 रामेन्द्र प्रसाद वर्मा
11.	प्रदर्श क-11	अभियोजन स्वीकृति	पी०डब्लू 8 रामेन्द्र प्रसाद वर्मा

		अ०सं० 84/16	
12.	प्रदर्श क-12	आरमोर्र परीक्षण रिपोर्ट (अ०सं० 84/16)	पी०डब्लू 8 रामेन्द्र प्रसाद वर्मा
13.	प्रदर्श क-13	आरोप पत्र (अ०सं० 84/16)	पी०डब्लू 8 रामेन्द्र प्रसाद वर्मा
14.	प्रदर्श क-14	तहरीर	पी०डब्लू 2 घनश्याम शर्मा
15.	प्रदर्श क-15	नक्शा नजरी घटनास्थल (अ०सं० 74/16)	पी०डब्लू 9 विवेचक सन्तोष कुमार यादव
16.	प्रदर्श क-16	आरोप पत्र (संबंधित अ०सं० 74/16)	पी०डब्लू 9 विवेचक सन्तोष कुमार यादव
17.	प्रदर्श क-17	नक्शा नजरी घटनास्थल (अ०सं० 74/16)	पी०डब्लू 9 विवेचक सन्तोष कुमार यादव
18.	प्रदर्श क-18	फर्द बरामदगी खोखा कारतूस व लोहे का टुकड़ा	पी०डब्लू 9 विवेचक सन्तोष कुमार यादव
19.	प्रदर्श क-19	चिक एफ.आई.आर (अ०सं० 83/16)	पी०डब्लू 10 कॉ०मोहर्रिर कमला कान्त
20.	प्रदर्श क-20	चिक एफ.आई.आर (अ०सं० 84/16)	पी०डब्लू 10 कॉ०मोहर्रिर कमला कान्त

12. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से कुल 10 साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है। जिनमें तथ्य के कुल तीन साक्षीगण पी०डब्लू 1 शिव वरदान जो स्वयं वादी मुकदमा हैं। पी०डब्लू 2 घनश्याम एवं पी०डब्लू 3 केदारनाथ जो स्वयं चोटहिल हैं।

13. अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। बयान में अभियुक्तगण ने प्र०सं० 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 एवं 11 के उत्तर में कथन किया है कि मालून नहीं है, झूठा साक्ष्य दिया है। प्र०सं० 8 के उत्तर में कथन किया है कि झूठा साक्ष्य प्रस्तुत किया है। मेरे पास से कोई भी अवैध वस्तु/पिस्टल आदि की बरामदगी नहीं हुई है। प्र०सं० 12 के उत्तर में कथन किया गया है कि पुलिस द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर फंसाया गया है। प्र०सं० 13 के उत्तर में बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने से इंकार किया गया एवं प्र०सं० 14 के उत्तर में कथन किया है कि पुलिस ने मुझे, मेरे घर से लाकर उपरोक्त मुकदमें में फर्जी तरीके से फंसा दिया गया था। मैं निर्दोष हूँ। दोषमुक्त किये जाने की याचना की गई है।

14. बचाव पक्ष द्वारा अपनी ओर से कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है।

15. मैंने राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन एवं परिशीलन किया।

16. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अयोध्या द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण घटना में संलिप्त रहे हैं, पुलिस द्वारा

घटना में प्रयुक्त देशी तमंचा व खोखा कारतूस बरामद कर फर्द तैयार की गई तथा गिरफ्तारी मेमों बनाया गया। जिन्हें अभियोजन साक्षियों ने साबित किया है। तमंचा व कारतूस को न्यायालय के समक्ष साक्षियों द्वारा साबित किया गया है। घटना दिन की है। घटना में केदारनाथ चोटहिल है जो अपने अन्य साथी वादी शिव वरदान वर्मा व घनश्याम शर्मा के साथ घटनास्थल पर मौजूद था। पत्रावली पर दाखिल साक्ष्य एवं अभियोजन प्रपत्रों से अभियोजन कथानक संदेह से परे साबित है। ऐसी परिस्थितियों में अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर दण्डित किये जाने की मांग की गई है।

17. बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण को विवेचक द्वारा गलत ढंग से फंसाया गया है। अभियुक्तगण पूर्णतया निर्दोष हैं। घटना दिन दहाड़े की कहीं गई है, लेकिन कोई भी स्वतन्त्र साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है। फर्द बरामदगी बरामदगी गलत है, उनकी अभिरक्षा से न तो कोई बरामदगी हुई है और न ही वह घटना में संलिप्त रहे हैं। अभियोजन की ओर से तथ्य के जो भी साक्षी परीक्षित कराये गये हैं, वह हितबद्ध साक्षी हैं, घटना दिन की होते हुए भी किसी स्वतन्त्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। पी०डब्लू 1, पी०डब्लू 2 एवं पी०डब्लू 3 के साक्ष्य से ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, जिससे अभियोजन कथानक को बल मिलता हो। इस प्रकार पत्रावली पर जो साक्ष्य आया है, उससे अभियोजन कथानक युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं है। अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गई।

18. अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 14.03.2016 को समय 14.30 बजे बहद स्थान ग्राम अरथर थानान्तर्गत रौनाही जनपद फैजाबाद में एक राय होकर अपने सामान्य आशय की पूर्ति में शिव वरदान जो गाड़ी टाटा 407 UP 42T 4325 के चालक थे, के सामने अपनी मोटर साईकिल पल्सर लाकर टाटा गाड़ी को रोक कर कनपटी पर रिवाल्वर लगा कर, सेल्समैन केदारनाथ गुप्ता जो कि चालक के बगल बैठा था, को रिवाल्वर से गोली मारने, उससे लूट करने, उक्त लूट की धनराशि मुल्जिमान के पास से बरामद होने, पल्सर बाइक पर फर्जी नम्बर प्लेट लगा कर तथा फर्जी पंजीयन प्रमाण पत्र बनाकर छल करने, कूटरचित दस्तावेज को असल के रूप में प्रयोग करने तथा दिनांक 20.03.2016 को समय 16.40 बजे बहद स्थान कटरौली नगर की पुलिया के पास थाना रौनाही, जिला फैजाबाद में पुलिस द्वारा मुल्जिमान के पास से एक-एक अदद अवैध रिवाल्वर 32 बोर, जिसके अन्दर चकरी से 4 अदद जिंदा कारतूस 32 बोर बरामद करने का आरोप है।

19. इस स्तर पर न्यायालय को यह देखना है कि पत्रावली पर जो साक्ष्य आया है, क्या उससे अभियोजन कथानक साबित है। इस परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर दाखिल साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के तीनों साक्षीगण पी०डब्लू 1 वादी शिव वरदान, पी०डब्लू 2 घनश्याम एवं पी०डब्लू 3 केदारनाथ जो कि घटना के

चक्षुदर्शी साक्षी हैं, तीनों साक्षीगण **पंकज ट्रेडर्स सुचितागंज, सोहावल, फैजाबाद** में सर्विस करते थे। घटना की तिथि 14.03.2016 समय 02.30 बजे दोपहर को तीनों लोग सुचितागंज से संजयगंज बाजार सामान देने व बकाया व नकदी लेने गये थे। संजय गंज बाजार से सामान वापसी में संजयगंज से सोहावल-सुचितागंज बाजार मार्ग पर अरथर के पास जामुन के पेड़ के आगे सड़क की बाईं ओर कुएं के पास दो अज्ञात लोग काली पल्सर मोटरसाइकिल से आये और गाड़ी टाटा 407 रजिस्ट्रेशन नं 42T 3225 के सामने लाकर खड़ी करके तुरन्त गाड़ी के पास आकर ड्राइवर अर्थात शिव वरदान की कनपटी पर रिवाल्वर तान दिये व गाड़ी से हाथ डाल कर चाबी निकाल लिया। दोनों में एक जिसने रिवाल्वर ताना था, गमछा मुंह, सर पर बांधा था तथा दूसरे ने चेहरे पर गमछा बांधा था। रिवाल्वर ताने वाला व्यक्ति ने **सेल्समैन केदारनाथ गुप्ता** जो कि ड्राइवर के बगल बैठा था, उसे रिवाल्वर लगाकर सारा रूपया वसूली नकदी जो भी थी, छीन लिया और उसे गोली मार दी। जिससे वह घायल हो गया। तीन बार गोली मारा और पैसा रूपया व मोबाइल छीन कर भाग गये। अर्थात तीनों साक्षीगण घटना के चक्षुदर्शी साक्षी हैं, जिसमें पी०डब्लू 3 केदारनाथ स्वयं घटना में चोटहिल हैं। अर्थात अभियोजन की ओर से उक्त तीनों साक्षीगण को तथ्य के साक्षी/चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया है। इनके अतिरिक्त अन्य सभी साक्षीगण द्वितीयक साक्षी/सरकारी सेवक हैं। जिन्होंने अपने-अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में कार्य किया है तथा स्वयं के द्वारा किये गये कार्य के संबंध में अभियोजन प्रपत्र तैयार किये गये है। जिन्हें समक्ष न्यायालय उक्त साक्षीगण ने साबित किया है तथा उनके संबंध में अपना साक्ष्य दिया है।

20. **पी०डब्ल्यू० 1 शिव वरदान** जो की स्वयं वादी मुकदमा एवं चक्षुदर्शी साक्षी ने सशपथ साक्ष्य दिया है कि वह दिनांक 14.03.2016 को टाटा 407 गाड़ी नम्बर UP42 T 4325 पर जो कि पंकज ट्रेडर जिसके स्वामी सन्तोष कुमार कसौधन है, जिसका माल लादकर संजय गंज बाजार गया। मेरे साथ मुंशी केदारनाथ गुप्ता व हेल्पर घनश्याम शर्मा भी थे। वहां पर हम लोग दुकानदारों को सामान लेकर पूर्व में बकाया पैसा वसूल कर सुचितागंज बाजार लौट रहे थे। अरथर प्राइमरी पाठशाला से लगभग 100 मीटर की दूरी पर उत्तर तरफ पक्की सड़क के किनारे पहुंचे थे कि दो व्यक्ति पल्सर मोटरसाइकिल से आये और मेरी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर दिया। दोनों व्यक्ति अपना मुंह अंगोछा से बांधे हुए थे। एक व्यक्ति ने मेरी कनपटी पर रिवाल्वर तान दिया और मेरी गाड़ी की चाभी निकाल लिया। दूसरा व्यक्ति हेल्पर वाले फाटक से आया और बीच में बैठे केदारनाथ गुप्ता के पैसे से भरा हुआ बैग छीनने लगा, न देने पर केदारनाथ गुप्ता को गोली मार दिया और पैसे से भरा बैग लेकर भाग गया। गमछा बंधा होने के कारण हम लोग पहचान नहीं सके। थाने में दरोगा जी ने जबरदस्ती सादे कागज पर मुझसे दस्तखत करा लिया था। मैं अभियुक्तगण को पहचानता नहीं हूं और न ही मैंने कोई F.I.R. ही किया

था। इस स्तर पर साक्षी को **पक्षद्रोही घोषित** किया गया।

21. **पी०डब्ल्यू० 2 घनश्याम शर्मा** ने सशपथ साक्ष्य दिया है कि वह दिनांक 14.03.2016 को पंकज ट्रेडर्स के ड्राइवर शिव वरदान वर्मा के साथ सुंचिता गंज बाजार से गाड़ी नम्बर UP42 T 4325 टाटा 407 से संजय गंज बाजार व्यापारियों को सामान देकर पूर्व में बकाया पैसा मुंशी केदारनाथ गुप्ता के साथ लेकर लौट रहा था। अरथर प्राइमरी पाठशाला से लगभग 100 मीटर की दूरी पर उत्तर तरफ पक्की सड़क के किनारे दो व्यक्ति पल्सर मोटरसाइकिल से आये और मोटरसाइकिल हमारी गाड़ी के सामने रोक दिया। दोनों व्यक्ति अपना चेहरा गमछा से ढके हुए थे। एक ने ड्राइवर को रिवाल्वर तान कर गाड़ी की चाभी निकल लिया और एक व्यक्ति हमारे तरफ का फाटक खोल कर मुंशी केदारनाथ गुप्ता का पैसों से भरा बैग छीनने लगा। बैग न देने पर उसने गोली मार दिया और छीनकर भाग गया। चेहरा ढका होने के कारण मैं दोनों व्यक्तियों को पहचान नहीं पाया था। उसके बाद हम लोग थाने गये हम लोगों ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई थी। दरोगा जी ने हमारा व शिव वरदान का जबरदस्ती सादे कागज पर दस्तखत कराया था। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। इस स्तर पर साक्षी को **पक्षद्रोही घोषित** किया गया।

22. **पी०डब्ल्यू० 3 केदारनाथ** ने सशपथ साक्ष्य दिया है कि मैं अपने साथी शिव वरदान, जो ड्राइवर थे व घनश्याम के साथ घड़ी डिटर्जेन्ट, अनमोल बिस्कुट, कोकोनट बिस्कुट आदि व्यापारियों की मांग के अनुसार अपनी गाड़ी टाटा 407 रजिस्ट्रेशन नं० UP42 T 4325 में सामान लादकर संजयगंज बाजार गये थे। वहां हम लोगों ने दुकानदारों को सामान की डिलवरी किया था और जो पहले से बकाया लगभग पचास हजार रूपये थे, उसकी बसूली करके वापस संजयगंज बाजार से सुचितागंज बाजार वापस आ रहे थे। उस पचास हजार रूपये में बकाया व बसूले गये रूपये भी शामिल थे। आते समय अरथर प्राइमरी पाठशाला के आगे सुचितागंज वाली रोड पर प्राइमरी पाठशाला से लगभग सौ मीटर की दूरी पर उत्तर तरफ पक्की सड़क के किनारे पहुंचे ही थे कि दो व्यक्ति काली पल्सर से आये व तेजी से हम लोगों की गाड़ी उपरोक्त के सामने खड़ी कर दिये। उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का मुंह गमछा से बंधा हुआ था तथा दूसरे ने गमछे से अपने चेहरे को ढक रखा था। उसमें से एक व्यक्ति गोरा व दूसरा व्यक्ति साँवला था। जिसमें साँवले वाले को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं। साँवला वाला व्यक्ति रिवाल्वर लेकर तानते हुए हमारी गाड़ी की बांया गेट खोलकर मेरे कनपटी पर तान दिया तथा दूसरा व्यक्ति दाहिने तरफ का गेट खोलकर ड्राइवर की कनपटी पर पिस्टल लगाकर गाड़ी की चाभी निकाल लिया। चाभी निकालने के बाद दूसरा व्यक्ति बांयी तरफ गेट के पास आकर पैसे वाले बैग की जो मेरे पास था, छिनने लगा। जिसका विरोध करने पर दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अगर थैला नहीं दे रहा, तो गोलीमार कर थैला ले लो। उसके बावजूद मेरे द्वारा थैला न देने पर साँवले वाले व्यक्ति ने गोली चलाया,उसके बाद दो गोली

मारी, जो मेरे पेट में बांयी तरफ लगी। गोली लगने के बाद मेरा सन्तुलन बिगड़ गया और दोनों व्यक्ति मेरे हाथ से रूपये का थैला और मोबाइल छीनकर भाग गये। उसके बाद मैं तुरन्त बेहोश हो गया था। उसके बाद मुझे जिला चिकित्सालय के बाद कोई अन्य व्यक्ति जिसका नाम दान प्रकाश है, मुझे जिला चिकित्सालय फैजाबाद ले गया। जहां से मुझे तुरन्त के.जी.एम.सी. ट्रॉमा सेन्टर लखनऊ रिफर कर दिया था। जहां मेरा इलाज हुआ। गोली लगने से मेरे कमर के नीचे का अंग काम नहीं कर रहा है। दरोगा जी ने सम्भवतः मेरा बयान अस्पताल में लिया था। गवाह ने न्यायालय में उपस्थित मुल्जिमानों को देखकर कहा कि इन मुल्जिमानों को नहीं पहचानता हूं।

23. इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि **मुल्जिमानों ने गमछा बांधी थी, मैं उनको पहचान नहीं पाया। लुटेरों ने पैसे की थैले के अलावा मेरा व मेरे साथियों का कोई सामान नहीं छीना था। हाजिर अदालत अभियुक्त उमेश सिंह व शिव शंकर शुक्ला को मैं आज देख रहा हूँ तथा घटना के समय लुटेरों को भी मैंने देखा था, मैं हाजिर अदालत अभियुक्तगण घटना वाले दिन नहीं थे। कोई और लोग थे**। मेरा मोबाइल व मेरे साथियों का सारा सामान, मोबाइल बाद में पुलिस ने मांगा था। हाजिर अदालत अभियुक्त उमेश सिंह व शिव शंकर शुक्ला को पुलिस ने इस प्रकरण में कैसे अभियुक्त बनाया है, मैं नहीं बता सकता। दरोगा जी ने मुल्जिमानों की पहचान नहीं करायी थी।

24. अभियोजन की ओर से अन्य साक्षीगण के रूप में पी०डब्लू 4 के रूप में **डॉ० राजेश दूबे** जो कि दिनांक 14.03.2016 को जिला चिकित्सालय फैजाबाद इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के पद पर में कार्यरत थे, को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने अपने साक्ष्य में उस दिन 3.30 PM पर चोटहिल केदारनाथ गुप्ता को उसके पिता श्यामलाल चोटहिल हालत में लेकर इलाज हेतु जिला अस्पताल लेकर आने और उनके द्वारा चोटहिल का प्राथमिक उपचार किये जाने का कथन करते हुए चोटहिल के शरीर पर निम्न चोटे पाये जाने का कथन किया गया है-

1. LACERETED WOUND 1X.5 CM बांयी छाती पर जो कि बांये काख से 17 CM नीचे की तरफ था। रक्त स्राव हो रहा था और उसका घाव का मार्जिन INVERTED और काला था। जिसके लिए X-RAY की सलाह दी गयी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है घाव आग्नेशास्त्र से की गयी। (FIRE ARM INJURY) चोटों की अवधि ताजी थी। साक्षी ने मेडिकल रिपोर्ट को **प्रदर्श क 1** के रूप में प्रमाणित किया है।

25. **पी०डब्ल्यू० 5 नजमुद्दीन सिद्दीकी** जो कि दिनांक 14.03.2016 को थाना रौनाही में हेड कास्टेबल के पद पर कार्यरत था, ने भी अपने सशपथ साक्ष्य में उस दिन शिव वरदान व हमराह घनश्याम शर्मा की तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 74/16 धारा 394 भा०द०सं० कायम कराने, जिसकी कायमी बहवाले रपट से 25 समय 15.25 बजे

दिनांक 14.03.2016 को कराने का कथन किया है। साक्षी ने कायमी की कार्बन प्रति को **प्रदर्श क 2** एवं चिक एफ.आई.आर **प्रदर्श क 3** के रूप में एवं मूल जी०डी० विनष्टीकरण रिपोर्ट को **प्रदर्श क 4** के रूप में प्रमाणित किया गया है।

26. **पी०डब्ल्यू० 6 उ० निरी० अजय कुमार सिंह** ने सशपथ साक्ष्य दिया है कि वह दिनांक 20.03.2016 SOGH प्रभारी फैजाबाद के पद पर कार्यरत थे। उस दिन थाना प्रभारी रौनाही श्री कृष्ण गुप्ता द्वारा जरिये दूरभाष प्राप्त सूचना के आधार पर मय टीम कटरौली नगर पुल पर पहुंचे, जहां पर SO रौंनाही अपनी टीम व मुखिबिर के साथ मौजूद थे। उन्होंने मुखबिर खास की सूचना से अवगत कराया कि दिनांक 14.03.2016 को अरथर के पास गोली मारकर लूट करने की घटना में शामिल व्यक्ति काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल के साथ कटरौली नहर पुल के पास जुबेरगंज पशु बाजार से पशु बेच कर जाने वाले व्यक्तियों से झिनौती करने की फिराक में खड़े हैं। जिनके पास असलहे भी है। इस सूचना को अपनी टीम को अवगत कराते हुए छिपते छिपाते मौके पर मौजूद सभी लोग (पुलिस बल) जैसे ही कटरौली नहर पुल से गडघन सीरपुर पहुंचे कि हम पुलिस वालों को देखते ही पल्सर मोटरसाइकिल को छोड़कर खड़े दोनों व्यक्ति नसीरपुर की तरफ भागने लगे। उक्त दोनों व्यक्तियों को हम पुलिस बल द्वारा घेरने का प्रयास किये तो दोनों व्यक्ति रोड के पूरव गड्ढे में गिर पड़े। आवश्यक सुरक्षा बल का प्रयोग कर दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। साथ में चश्मदीद साक्षी शिवराम व घनश्याम ने चिल्लाकर कहा कि साहब यहीं दोनों आदमी हैं, जिन्होंने मेरे साथी सेल्समैन केदारनाथ गुप्ता को गोली मारकर रूपयों से भरा झोला छीनकर भाग गये थे। पकड़े गये दोनों व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुए जमा तलाशी ली गयी, तब एक ने अपना नाम उमेश सिंह और जामा तलाशी लेने पर उसके पास से एक अदद देशी पिस्टल मय मैगजीन बरामद हुई। सावधानीपूर्वक पिस्टल से मैगजीन अलग करके देखा कि वह मैगजीन में 4 अदद जिन्दा कारतूस 7.65 बोर कारतूस बरामद हुआ तथा दाहिनी जेब से पांच हजार रूपया और शर्ट के जेब से 03 हजार आठ सौ रूपया तथा दो मोबाइल एक सैमसंग कम्पनी का तथा एक नेकिया का बरामद हुआ, जिसका विस्तृत उल्लेख फर्द में अंकित है व दो अदद ड्राइविंग लाइसेंस ओमप्रकाश व केदारनाथ के नाम से प्राप्त हुआ, जिसका विस्तृत विवरण फर्द में अंकित है। बरामद असलहे व कारतूस के सम्बन्ध में लाइसेंस मांगने पर कोई कागजात नहीं दिखा सका तथा पकड़े गये दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम <u>शिवशंकर शुक्ल उर्फ बृजेश पाण्डेय उर्फ झीन</u> बताया। जमा तलाशी लेने पर पहने पेंट से एक अदद रिवाल्वर बरामद हुआ, जिसे सावधानीपूर्वक खेलकर देखा गया, उसमें चार अदद जिंदा कारतूस 32 बोर बरामद हुआ तथा पेंट की दाहिनी जेब से 5750 रूपया बरामद हुआ तथा पेंट की बांयी जेब से एक सेमसंग मोबाइल बरामद हुआ, जिसका विस्तृत विवरण फर्द में अंकित है तथा काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुआ। जिसकी नम्बर प्लेट से UP32 DX

9956 अंकित था। जिसका विस्तृत विवरण फर्द पर अंकित है। बरामद असलहे व कारतूस के सम्बन्ध में लाइसेंस के बारे में पूछा गया, तो नहीं दिखा सका और माफी मांगते हुए दोनों व्यक्तियों ने बताया कि हम लोगों के पास जो पैसे बरामद हुए हैं वह दिनांक 14.03.2016 को हम दोनों व्यक्तियों ने मिलकर संजयगंज बाजार से सोहावल के बीच में सेल्समैन से गोली मारकर इसी असलहे से गोली मारा था और रूपये से भरा बैग सेल्समैन से छीन लिया था। जिसका विस्तृत विवरण फर्द में अंकित है और हमारे पास से बरामद सेमसंग का मोबाइल और केदारनाथ का लाइसेंस उसी लूट से है व अन्य दोनों मोबाइल व ड्राइविंग लाइसेंस अम्बेडकरनगर में दिनांक 04.12.2015 को कब्रिस्तान के पास से एक व्यवसायी से लूट के है, इसके अलावा उस व्यापारी से एक लाख नगद रूपये लूट गये। इसके अलावा हम लोगों ने संजयगंज के पास से सेमसंग मोबाइल छीना था, जो हमारे पास से बरामद है। बरामद पल्सर मोटरसाइकिल के बारे में पूछने पर शिव शंकर शुक्ला ने बताया कि यह गाड़ी मैंने अपने दो साथियों के साथ माह नवम्बर 2015 में ग्राम डढौला थाना केसरगंज जिला बहराइच से लूटा था। इस मोटरसाइकिल पर जो नम्बर पड़ा है, वह फर्जी है और हर घटना के समय अलग-अलग रजिस्ट्रेशन नम्बर डालते हैं और इसी गाड़ी से लूट और झिनैती की घटना को अन्जाम देते हैं, इसके अलावा दोनों ने बताया कि दिनांक 17.03.2016 को सम्मनपुर अम्बेडकरनगर व उसी दिन इब्राहिमपुर तथा 29 फरवरी 2016 को सहादतगंज एयरसेल सिम वितरण का पीछा करते हुए रूपये से भरा बैग छीनने के चक्कर में रिवाल्वर से फायर छोड़कर भाग गये थे। इसके अलावा 23 जनवरी 2016 को पॉलिटेक्निक स्कूल कैंट के पास एक मोटरसाइकिल सवार को धक्का देकर पिस्टल दिखाकर धमकी देते हुए उसमें सवा लाख रूपये छीन लिया था। जनपद सुल्तानपुर चांदा के पास एक व्यक्ति से लगभग 12000/- रूपये व सोने की चेन तथा 15 नवम्बर 2015 को मोतीगंज बीकापुर के पास एक कार को रोककर लगभग दो लाख रूपये व 19.03.2016 को एक व्यक्ति से बैक से पैसा निकाल कर जा रहा था। 10 हजार रूपये छीने थे व डराने के लिए हवाई फायर भी किये थे। उपरोक्त का विस्तृत विवरण फर्द में अंकित है। पकड़े गये दोनों व्यक्तियों को अपराध से अवगत कराते हुए पुलिस हिरासत में लिया गया था तथा फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी मेमो मौके पर ही SI संतोष कुमार यादव द्वारा लिखा गया था तथा फर्द की एक प्रति अभियुक्तगणों की सहमति से उमेश सिंह को दी गयी थी तथा मौके पर ही बरामद असलहा, मोबाइल आदि जिनका विवरण फर्द पर अंकित है मौके पर सर्व सील मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया था। तत्पश्चात हम पुलिस टीम व अभियुक्तगण के हस्ताक्षर मौके पर बनवाये गये थे। साक्षी ने फर्द प्रदर्श क 5 के रूप में प्रमाणित किया गया है।

27. **पी०डब्ल्यू० 7 कृष्ण कुमार गुप्ता** ने भी अपने सशपथ बयान में यह कहा है कि वह दिनांक 20.03.2016 को मैं थानाध्यक्ष रौनाही के पद पर कार्यरत थे तथा अपनी

पुलिस टीम जिसमें SI विनोद कुमार यादव, SI सन्तोष कुमार यादव, कां० सुभाष निषाद, कां० ध्रुवराज गौतम, कां० बिजली सिंह भी थे, के साथ सरकारी जीप से तलाश वांछित अपराधी सुराग रसी आदि में सोहावल चौराहे पर मु०अ०सं० 74/2016 सम्बन्धित घटना के चश्मदीद गवाहान शिव वरदान चालक वाहन टाटा 407 व धनश्याम के साथ दिनांक 14.03.2016 ग्राम अरथर थाना रौनाही के पास गोली मारकर लूट करने की घटना में शामिल अज्ञात अभियुक्तों के बारे में विचार विमर्श किया जा रहा था कि मुखबिर की सूचना के आधार पर व्यक्ति काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल के साथ कटौली नहर पुल से सिरपुर तिराहे के पास दोनों मुल्जिमानों के गिरफ्तार किये जाने का कथन किया है। उक्त साक्षी ने अपने साक्ष्य में गिरफ्तारी व गिरफ्तार मुल्जिमानों की जामा तलाशी का उल्लेख करते हुए मूल फर्द पर अपने हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है। तत्पश्चात न्यायालय के समक्ष फर्द बरामदगी से संबंध माल मुकदमा प्रस्तुत करने पर माल मुकदमा के संबंध में रिवाल्वर 32 बोर को देखकर साक्षी ने कहा कि यही रिवाल्वर मैंने अभियुक्त शिव शंकर शुक्ला के पास से बरामद किया था, जिसे मैं प्रमाणित करता हूं, जो चालू हालत में है, जिस पर **वस्तु प्रदर्श 1** डाला गया। दूसरे फटे सफेद कपड़े में एक अदद पिस्टल 7.65 बोर व चार अदद जिन्दा कारतूस सम्बन्धित मु०अ०सं० 83/16 धारा 3/25 ए एक्ट बनाम उमेश सिंह अंकित है तथा उमेश सिंह के हस्ताक्षर है। उसके नीचे साक्षी द्वारा अपने हस्ताक्षर व तिथि 20.03.2016 अंकित है। साक्षी द्वारा बताया गया कि अभियुक्त उमेश सिंह से बरामद पिस्टल चालू हालत में है, जिस पर **वस्तु प्रदर्श 2** डाला गया। सील सर्व मोहर कपड़े से एक सफेद पारदर्शी पालीथीन प्राप्त हुई, जिसके अन्दर एक वांसी कागज से आठ अदद जिन्दा कारतूस प्राप्त हुआ, जिसे देखकर साक्षी ने कहा कि उक्त कारतूस अभियुक्तगणों के पास बरामद हुआ था, जिसकी में पुष्टि करता हूं। एक सफेद मारकीन कपड़े में को न्यायालय की अनुमति से सील सर्व मोहर खोला गया, जिसके अन्दर से ड्राइविंग लाइसेंस ओमप्रकाश लिखा हुआ। जारी तिथि 8-7-86 वैद्यता 4-2-18 अंकित है एवं यू०पी० 45 19860000109 अंकित है। जिसे देखकर साक्षी ने कहा कि उक्त लाइसेंस उमेश सिंह के पास बरामद हुआ था, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं। जिस पर **वस्तु प्रदर्श 4** डाला गया है। एक अन्य सफेद मारकीन कपड़ा सील सर्व मोहर है, जिसे न्यायालय की अनुमति से सील सर्व मोहर खोला गया,जिसके अन्दर से एक डी.एल. मिला, जिस पर यू०पी० 42 20140000603 अंकित है तथा नाम केदारनाथ अंकित है। जिसे देखकर साक्षी ने कहा कि उक्त डी.एल. अभियुक्त उमेश सिंह के पास बरामद किया था। जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर **वस्तु प्रदर्श 5** डाला गया। एक अन्य सफेद कपड़ा सील सर्व मोहर है, जिसे न्यायालय के अनुमति से सील सर्व मोहर खोला गया, जिसके अन्दर से एक सफेद कागज में लिपटा पांच-पांच सौ 17 नोट व सौ-सौ के तीन कुल 88 सौ रूपये प्राप्त हुए जिसे देखकर साक्षी ने कहा कि मैंने अभियुक्त उमेश सिंह के पास से

बरामद किया था, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं। जिस पर **वस्तु प्रदर्श 6** डाला गया। एक अन्य सफेद कपड़ा जो सफेद कपड़ा में जो सील सर्व मोहर हालत में है, जिसे न्यायालय की अनुमति से सील सर्व मोहर खोला गया, जिसके अन्दर से दो मोबाइल निकला। एक नोकिया की पेड काले रंग व सेमसंग की पेड सफेद रंग का है, जिसे देखकर साक्षी ने कहा कि उक्त मोबाइल उमेश सिंह के पास से बरामद किया, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर **वस्तु प्रदर्श 7** डाला गया। एक अन्य सफेद कपड़ा, जो सील सर्व मोहर हालत में हैं, जिसे न्यायालय की अनुमति से खोला गया, जिसके एक कागज के अन्दर से पांच-पांच सौ के दस नोट, सौ-सौ के सात नोट व पचास का एक नोट कुल 5750 रूपया प्राप्त हुआ, जिसे देखकर साक्षी ने कहा कि उक्त रूपया अभियुक्त शिवशंकर शुक्ला के पास से बरामद हुआ था, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर **वस्तु प्रदर्श 8** डाला गया। एक अन्य सफेद कपड़ा जो सील सर्व मोहर है, जिसे न्यायालय के अनुमति से सील सर्व मोहर खोला गया, जिसके अन्दर से एक अदद सेमसंग की पेड रंग काला मिला, जिसे देखकर साक्षी ने कहा कि उक्त मोबाइल अभियुक्त शिवशंकर शुक्ल के पास से बरामद किया था, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर वस्तु **प्रदर्श क 9** डाला गया।

28. **पी०डब्ल्यू० 8 उप निरीक्षक रामेन्द्र प्रसाद वर्मा** ने सशपथ साक्ष्य दिया है कि वह दिनांक 21.03.2016 थाना रौनाही में उक्त पद पर कार्यरत थे। उस दिन मु०अ०सं० 83/2016 व 84/2016 धारा 3/25 एक एक्ट थाना रौनाही की विवेचना साक्षी ने ग्रहण की और नकल चिक, नकल रपट का अवलोकन कर सी०डी० में अंकित किया तथा वादी मुकदमा तत्कालीन थानाध्यक्ष कृष्ण कुमार गुप्ता फर्द के गवाह SI विनोद कुमार यादव, SI संतोष कुमार यादव, कां० सुभाष निषाद, कां० ध्रुव कुमार गौतम, कां० बिजली सिंह, स्व टीम प्रभारी अजय कुमार सिंह, चश्मदीद साक्षी शिव वरदान व घनश्याम का बयान अंकित किया तथा उसी दिन FIR लेखक कां० अजय कुमार का बयान अंकित किया। तत्पश्चात दिनांक 21.03.2016 को अभियुक्त उमेश सिंह व शिव शंकर शुक्ला उर्फ बृजेश पाण्डेय उर्फ झीन का बयान अंकित किया। तत्पश्चात दिनांक 27.03.2016 को घटनास्थल का निरीक्षण वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार गुप्ता की निशानदेही पर किया गया तथा मौके का नक्शा नजरी मेरे द्वारा तैयार किया गया। साक्षी ने नक्शा नजरी घटनास्थल को **प्रदर्श क 6** के रूप में प्रमाणित किया। तत्पश्चात दिनांक 17.05.2016 को कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट फैजाबाद से अभियोजन स्वीकृत प्राप्त कर उसका अवलोकन कर सी०डी० में अंकित किया। अभियोजन स्वीकृति को **प्रदर्श क 7** के रूप में प्रमाणित किया गया है। तत्पश्चात साक्षी ने तमामी विवेचना, बयान वादी , बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल, अभियोजन स्वीकृति आदि के आधार पर अभियुक्त **उमेश सिंह** के विरुद्ध धारा 3/25 एक्ट आयुध अधिनियम का अपराध बखूबी साबित पाये जाने पर आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया। आरोप पत्र को **प्रदर्श क 8** के रूप में

प्रमाणित किया है तथा अ०सं० 83/2016 में प्रेषित आरोप पत्र को **प्रदर्श क 9** के रूप में प्रमाणित किया गया है। मु०अ०सं० 84/2016 धारा 3/25 ए एक्ट थाना रौनाही की विवेचना भी साक्षी द्वारा सम्पादित की गयी थी। साक्षी ने नकल चिक, नकल रपट का अवलोकन किया व वादी मुकदमा फर्द के गवाहान का बयान अंकित किया तथा मौके का नक्शा नजरी मेरे द्वारा तैयार किया गया। नक्शा नजरी ST No. 179/2016 की पत्रावली में कागज सं० 7अ/1 के रूप में संलग्न है, जिसे **प्रदर्श क 10** के रूप में प्रमाणित किया गया है। तत्पश्चात साक्षी ने मु०अ०सं० 84/2016 से सम्बन्धित अभियोजन स्वीकृत कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट फैजाबाद से प्राप्त जिसे **प्रदर्श क 11** के रूप में प्रमाणित किया गया। सत्र परीक्षण रिपोर्ट बाबत अपराध सं 84/2016 को **प्रदर्श क 12** के रूप में प्रमाणित किया गया। तमामी विवेचना, बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल, रिपोर्ट बाबत सत्र परीक्षण, अभियोजन स्वीकृति आदि के आधार पर अभियुक्त शिवशंकर शुक्ला उर्फ बृजेश पाण्डेय के विरूद्ध धारा 3/25 एक्ट का अपराध बखूबी साबित पाया जाने पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। साक्षी ने आरो पत्र को **प्रदर्श क 13** के रूप में प्रमाणित किया है।

29. **पी०डब्ल्यू० 9 सन्तोष कुमार यादव** ने सशपथ साक्ष्य दिया है कि वह दिनांक 14.03.2016 को थाना रौनाही में उ० नि० के पद पर कार्यरत थे। उस दिन वादी शिव वरदान के प्रार्थना पत्र पर मु०अ०सं० 74/16 पंजीकृत हुआ, जिसकी विवेचना मुझ उ० नि० को प्राप्त हुई। मैंने उसी दिन नकल चिक, नकल रपट तथा वादी शिव वरदान का बयान अंकित किया। वादी मुकदमा की निशांदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया और नक्शा नजरी अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया। साक्षी ने नक्शा नजरी को **प्रदर्श क 15** के रूप में प्रमाणित किया है। तत्पश्चात साक्षी ने अनुपम सिंह, रामशंकर मिश्रा व्यवसायी का बयान अंकित किया। तत्पश्चात अभियुक्त के सुरागरसी, मजरूब केदारनाथ गुप्ता के इन्जरी रिपोर्ट, ट्रामा सेन्टर लखनऊ जोन का उल्लेख, पल्सर मोटरसाइकिल की तलाश का उल्लेख करते हुए दिनांक 20.03.2016 में वांछित अभियुक्त की तलाश करके हम पुलिस वाले कटरौली नहर पुलिस के पास से उमेश सिंह, शिवशंकर शुक्ला उर्फ बृजेश पाण्डेय उर्फ झीन मय पल्सर मोटरसाइकिल को हिरासत में लिया गया। जिनकी शिनाख्त वादी शिव वरदान व घनश्याम वर्मा ने की और कहा कि मेरे साथी केदारनाथ शुक्ला को दिनांक 14.03.2016 को गोली मारकर रूपये से भरा बैग छीनकर पल्सर मोटरसाइकिल से भाग गये। उमेश सिंह के कब्जे से एक अदद देशी पिस्टल, 4 अदद जिन्दा कारतूस मेगजीन में लगा हुआ और 800 रूपये, दो अदद मोबाइल फोन, जो अदद ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें एक अदद ड्राइविंग लाइसेन्स मजरूब केदारनाथ का भी बरामद हुआ था। शिव शंकर शुक्ला के कब्जे से एक अदद रिवाल्वर 32 बोर, 4 अदद जिन्दा कारतूस चैम्बर में लगा हुआ और लूट के 5700 रूपये तथा एक सेमसंग मोबाइल और घटना में प्रयुक्त

काले रंग की बजाज पल्सर मोटरसाइकिल सं० यू०पी० 32 डी०एक्स० 9956 बरामद हुई। दोनों ने घटना को स्वीकार किया था तथा मौके पर गिरफ्तारी मेमो तैयार हुआ। थाना प्रभारी कृष्ण कुमार गुप्ता द्वारा मौके पर फर्द गिरफ्तारी दो नफर अभियुक्त एवं बरामदगी एक अदद रिवाल्वर 32 बोर आदि बोल-बोलकर मुझसे लिखवाया था। साक्षी ने मूल फर्द को प्रमाणित किया, जिस पर प्रदर्श क 5 डाला गया है। तत्पश्चात साक्षी ने अपने साक्ष्य में विवेचना के क्रम में कृत कार्यवाहियों का उल्लेख करते हुए तमामी विवेचना के आधार पर अभियुक्त उमेश सिंह व शिवशंकर शुक्ला उर्फ झीन के विरुद्ध जुर्म धारा 394, 307, 411, 420, 467, 468, 471 भा०द०सं० बखूबी साबित उनके विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र को **प्रदर्श क 16** के रूप में प्रमाणित किया है। तत्पश्चात साक्षी ने दौरान विवेचना जहां से अभियुक्तों की गिरफ्तारी किया, वहां के नक्शा नजरी को अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किये जाने की पुष्टि करते हुए उसे **प्रदर्श क 17** के रूप में प्रमाणित किया है तथा दौरान विवेचना दिनांक 14.03.2016 को घटनास्थल के निरीक्षण के समय एक अदद खोखा कारतूस व एक लोहे का टुकड़ा घटनास्थल के पास से बरामद हुआ था। खोखा कारतूस के पर्दे पर KF 7.65 लिखा था तथा छोटा लोहे का टुकड़ा बुलेट बरामद हुआ था। जिसकी फर्द मौके पर तैयार की थी। सील सर्व मोहर करके नमूना मोहर तैयार किया था और फर्द पर वादी मुकदमा शिव वरदान वर्मा के हस्ताक्षर के साथ-साथ अपना भी हस्ताक्षर बनाया था। मूल फर्द को **प्रदर्श क 18** के रूप में प्रमाणित किया गया है। फर्द से सम्बन्धित माल मुकदमा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जो एक सफेद रंग के कपड़े में सील सर्व मोहर दशा में मौजूद है। कपड़े पर अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित विवरण अंकित है, कपड़े पर वस्तु प्रदर्श 1 और खोखा कारतूस पर वस्तु प्रदर्श 2 तथा जो लोहे का धातु का टुकड़ा बरामद किया था, वह कागज में लिपटा हुआ मिला था, जिसे खोला गया कागज पर अन्दर की तरफ अभियोग का विवरण अंकित था। कागज पर वस्तु प्रदर्श क 3 और लोहे के टुकड़े पर वस्तु प्रदर्श क 4 डाला गया।

30. **पी०डब्ल्यू 10** के रूप में **कांस्टेबल कमला कान्त** को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने सशपथ साक्ष्य दिया है कि वह दिनांक 20.03.2016 को 19.05 बजे थाना रौनाही में बतौर का० मोहर्रिर के पद पर कार्यरत थे। उस दिन थानाध्यक्ष रौनाही कृष्ण कुमार गुप्ता द्वारा मु०अ०सं० 74/16, थाना रौनाही से सम्बन्धित एक किता गिरफ्तारी मेमो 2 नफर अभियुक्त,   उनसे बरामद एक अदद रिवाल्वर 32 बोर, 4 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर, एक अदद पिस्टल 7.65 MM एवं एक अदद जिन्दा कारतूस व 3 अदद मोबाइल मय सिम व दो अदद ड्राइविंग लाइसेंस तथा एक अदद बजाज पल्सर मोटरसाइकिल काले रंग की व 14500 रू० नगद की फर्द बरामदगी मय माल मुकदमा सहित थाना कार्यालय पर उपस्थित आकर साक्षी को प्राप्त कराया, जिसके आधार पर साक्षी ने कायमी जी०डी० सं० 25, 19.05 बजे दिनांक 20.03.2016 पर कर चिक

FIR मु०अ०सं० 83/16 अन्तर्गत धारा 3/25 ए एक्ट व 84/16 धारा 3/25 ए एक्ट थाना रौनाही विरुद्ध उमेश सिंह व शिवशंकर शुक्ला कम्प्यूटर आपरेटर से बोल-बोल कर शब्द व शब्द चिक FIR बमुताविक फर्द बरामदगी किता कराया। साक्षी ने मूल चिक को **प्रदर्श क 19** व **प्रदर्श क 20** के रूप में प्रमाणित किया है।

31. उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि तीनों साक्षीगण पी०डब्लू 1 स्वयं वादी मुकदमा है तथा पी०डब्लू 3 स्वयं घटना में चोटहिल है और पी०डब्लू 2 भी मौके पर उपस्थित है। तीनों साक्षीगण ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना की तिथि, दिन व स्थान का समर्थन किया है। इसी प्रकार तथ्य के अन्य साक्षीगण अर्थात घटना के विवेचक, फर्द गिरफ्तारी एवं फर्द बरामदगी के गवाह प्रभारी निरीक्षक थाना रौनाही पी०डब्लू 7 कृष्ण कुमार गुप्ता ने भी अपने साक्ष्य में पुलिस बल के साथ दिनांक 20.03.2016 को मुल्जिमानों को मुखबिर की सूचना के आधार पर पी०डब्लू 1 एवं पी०डब्लू 2 की उपस्थिति में मुल्जिमानों को गिरफ्तार करते हुए दौरान जामा तलाशी उनकी अभिरक्षा से दो अदद रिवाल्वर एवं पिस्टल, आठ जिंदा कारतूस, पल्सर मोटरसाइकिल, दो अदद ड्राइविंग लाइसेंस, सेमसंग व नोकिया का मोबाइल तथा कुछ धनराशि बरामद किया गया है, जिन्हें न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत करते हुए उन्हें प्रमाणित कराया गया है। पी०डब्लू 7 द्वारा अपने साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि वह दिनांक 20.03.2016 को अपनी पुलिस टीम जिसमें SI विनोद कुमार यादव, SI सन्तोष कुमार यादव, कां० सुभाष निषाद, कां० ध्रुवराज गौतम, कां० विजली सिंह भी थे, के साथ सरकारी जीप से तलाश वांछित अपराधी सुराग रसी आदि में सोहावल चौराहे पर मु०अ०सं० 74/2016 सम्बन्धित घटना के चश्मदीद गवाहान <u>**शिव वरदान चालक वाहन टाटा 407**</u> व <u>**धनश्याम**</u> के साथ दिनांक 14.03.2016 ग्राम अरथर थाना रौनाही के पास गोली मारकर लूट करने की घटना में शामिल अज्ञात अभियुक्तों के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे और मुखबिर की सूचना के आधार उनके द्वारा मुल्जिमान उपरोक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी की गई। जिसमें उनके द्वारा उपरोक्त अभिकथित वस्तुएं पिस्टल व रिवाल्वर, आठ अदद गोली, मोबाइल आदि बरामद करना कहा है।

32. अभियोजन की ओर परीक्षित पी०डब्लू 1 शिव वरदान एवं पी०डब्लू 3 घनश्याम द्वारा न्यायालय के समक्ष अभियोजन कथानक अर्थात उपरोक्त फर्द बरामदगी से इतर साक्ष्य देते हुए न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में अभियुक्तगण को पहचानने से इन्कार किया है और थाने में दरोगा जी द्वारा जबरदस्ती हस्ताक्षर कराने का कथन किया है। <u>**यहां तक कि पी०डब्लू 1 द्वारा कोई एफ.आई.आर कराने से भी इन्कार किया है**</u>। प्रतिपरीक्षा में पी०डब्लू 1 ने यह कथन किया है कि <u>**मुल्जिमान किस रंग का गमछा बांधे थे, मुझे नहीं पता। गमछा बांधने के कारण मैं पहचान नहीं सका**</u>। यहां तक की <u>**साक्षी ने अपने धारा 161 द०प्र०सं० के बयान को सुनकर भी यह कथन किया है कि कैसे लिख लिया, मुझे**</u>

<u>नहीं पता</u>। इस प्रकार पी०डब्लू 1 ने अपनी मुख्य परीक्षा से इतर प्रतिपरीक्षा में बयान दिया है और अभियोजन की ओर से साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। लगभग इसी प्रकार का बयान पी०डब्लू 2 द्वारा भी दिया गया है। पी०डब्लू 2 के द्वारा भी घटना व फर्द बरामदगी/गिरफ्तारी के विपरीत बयान देने के कारण व अभियोजन कथानक को पूर्णतया समर्थन न करने की स्थिति में अभियोजन पक्ष द्वारा पी०डब्लू 2 को भी पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

33. प्रकरण में तथ्य के अन्तिम और प्रकरण में स्वयं चोटहिल साक्षी पी०डब्लू 3 केदारनाथ ने यद्यपि मुख्य परीक्षा में घटना की तिथि, समय व स्थान और घटना के समय स्वयं का चोटहिल होना मुख्य परीक्षा में स्वीकार किया है किन्तु उक्त साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में **<u>न्यायालय में उपस्थित मुल्जिमानों का घटना में संलिप्त होने से इन्कार करते हुए यह कथन किया है कि मुल्जिमानों ने गमछा बांधी थी, मैं उनको पहचान नहीं पाया। हाजिर अदालत अभियुक्त उमेश सिंह व शिव शंकर शुक्ला को मैं आज देख रहा हूँ तथा घटना के समय लुटेरों को भी मैंने देखा था, मैं हाजिर अदालत अभियुक्तगण घटना वाले दिन नहीं थे। कोई और लोग थे</u>**। अतः स्पष्ट है कि उक्त तथ्य के तीनों साक्षीगण ने अभियोजन कथानक के विपरीत साक्ष्य दिया है। जहाँ एक ओर पुलिस द्वारा शिव वरदान व घनश्याम की उपस्थिति में अभियुक्तगण को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार करना एवं उनकी अभिरक्षा से रिवाल्वर, पिस्टर एवं जिंदा कारतूस, मोबाइल एवं ड्राइविंग लाइसेन्स आदि बरामद करना कहा है, वहीं दूसरी ओर तथ्य के साक्षीगण ने ऐसी किसी बरामदगी व घटना का समर्थन अपने साक्ष्य के माध्यम से नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि तथ्य के तीनों साक्षीगण विश्वसनीय कोटि के साक्षी नहीं है अर्थात उक्त तीनों साक्षीगण के साक्ष्य से अभियोजन कथानक को कोई बल प्रदान नहीं होता।

34. यद्यपि प्रस्तुत प्रकरण में घटना दिनांक 14.03.2016 को समय लगभग 02.30 बजे दोपहर की कहीं गई है। जिसके क्रम में पुलिस द्वारा मुल्जिमान की गिरफ्तारी एवं उनकी अभिरक्षा से की गई बरामदगी दिनांक 20.03.2016 चश्मदीद गवाहान ड्राइवर व हेल्पर की उपस्थिति में मुखबिर खास सूचना के आधार पर कटरौली नहर पुल के पास से कहीं गई है। अर्थात फर्द बरामदगी व लूट और जान से मारने की नीयत से गोली चलाकर केदारनाथ को मारने की घटना दिन के प्रकाश की हैं। किन्तु अभियोजन की ओर से घटना के संबंध में किसी भी स्वतन्त्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। बरामदगी के संबंध में अभियोजन की ओर से पी०डब्लू 1 शिव वरदान व पी०डब्लू 2 घनश्याम को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने भी अपने साक्ष्य में फर्द बरामदगी के विपरीत साक्ष्य दिया है, यहां तक कि उनके द्वारा अपने धारा 161 द०प्र०सं० के बयान से भी इंकार किया गया है। विधि व्यवस्था **मो०शकील बनाम उ०प्र०राज्य, [2024 (3) JIC 135 (All)] इलाहाबाद उच्च न्यायालय** में माननीय उच्च

न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि *"साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार आग्नेयास्त्र की बरामदगी करते समय जांच अधिकारी का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वह पुलिस स्टेशन में दो स्वतन्त्र गवाहों की उपस्थिति में आरोपी का प्रकटीकरण बयान दर्ज करें और प्रकटीकरण बयान के आधार पर आरोपी व्यक्ति की निशानदेही पर हथियार बरामद करने की कार्यवाही की जानी चाहिए, यदि इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसी बरामदगी पर भरोसा नहीं किया जा सकता।"* प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से रिवाल्वर, पिस्टल एवं 8 अदद जिंदा कारतूस आदि की बरामदगी के संबंध में अन्य किसी स्वतन्त्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त फर्द बरामदगी पर विश्वास किया जाना न्यायोचित नहीं है।

35. अतः उपरोक्त समस्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से तथ्य के जो साक्षी परीक्षित कराये गये हैं, वह घटना के चक्षुदर्शी साक्षी हैं, जिनमें पी०डब्लू 3 केदारनाथ स्वयं चोटहिल हैं एवं अन्य पी०डब्लू 1 स्वयं वादी मुकदमा एवं पी०डब्लू 2 भी घटनास्थल पर उपस्थित रहा है। चूंकि घटना दिन की है और टाटा 407 वाहन में वह जा रहे थे, ऐसी स्थिति में उक्त वाहन के समक्ष पल्सर मोटरसाइकिल खड़ा कर मुल्जिमान द्वारा उक्त चोरी और गोली मारने की घटना को दिन के प्रकाश में अंजाम देने की स्थिति में उनका यह विधिक दायित्व था कि वह न्यायालय के समक्ष अभियोजन कथानक के समर्थन में मुल्जिमानों की पहचान अपने साक्ष्य के माध्यम से बताते एवं फर्द बरामदगी के संबंध में भी स्पष्ट साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते एवं उन परिस्थितियों को भी स्पष्ट करते जिन परिस्थितियों में उनके साथ यह घटना हुई। किन्तु साक्षीगण पी०डब्लू 1, पी०डब्लू 2 एवं पी०डब्लू 3 द्वारा अभियोजन कथानक के विरूद्ध साक्ष्य न्यायालय के समक्ष दिया गया है, ऐसी स्थिति में इनके विरूद्ध पृथक से धारा 383 B.N.S.S के अन्तर्गत वाद पंजीकृत किया जाना न्यायोचित है।

36. प्रस्तुत प्रकरण में पी०डब्लू 4 डॉ० राजेश दूबे द्वारा भी अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि मैं यह नहीं बता सकता कि कितनी दूर से गोली मारी गयी। पत्रावली पर गोली चलाने के संबंध में कोई बेलेस्टिक रिपोर्ट भी पत्रावली पर दाखिल नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर जो साक्ष्य आया है, उसके आधार पर यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं है कि मुल्जिमान द्वारा दिनांक 14.03.2016 को समय 14.30 बजे शिव वरदान जो गाड़ी टाटा 407 UP 42T 4325 के चालक थे, को रोक कर उनकी कनपटी पर रिवाल्वर लगा कर, सेल्समैन केदारनाथ गुप्ता को रिवाल्वर से गोली मारकर लूट की गई और लूट की धनराशि मुल्जिमान के पास से बरामद की गई साथ ही पल्सर बाइक पर फर्जी नम्बर प्लेट लगा कर तथा फर्जी पंजीयन प्रमाण पत्र बनाकर छल करने, कूटरचित दस्तावेज को असल के रूप में प्रयोग करने तथा दिनांक 20.03.2016 को समय 16.40 बजे बहद स्थान कटरौली नगर की पुलिया के पास थाना रौनाही, जिला

फैजाबाद में पुलिस द्वारा मुल्जिमान के पास से एक-एक अदद अवैध रिवाल्वर 32 बोर, जिसके अन्दर चकरी से 4 अदद जिंदा कारतूस 32 बोर बरामद करने का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे संदेह से परे साबित नहीं है। अर्थात अभियुक्तगण पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

सत्र परीक्षण संख्या 169/2016, मु०अ०सं० 74/2016, थाना रौनाही, जिला अयोध्या के प्रकरण में अभियुक्तगण **उमेश प्रताप सिंह** व **शिवशंकर शुक्ला उर्फ ब्रजेश पाण्डेय उर्फ झीन** को धारा 394, 307, 411, 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से **दोषमुक्त** किया जाता है।

सत्र परीक्षण संख्या 179/2016, मु०अ०सं० 84/2016, थाना रौनाही, जिला अयोध्या के प्रकरण में अभियुक्त **शिवशंकर शुक्ला उर्फ ब्रजेश पाण्डेय उर्फ झीन** को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है। इसी प्रकार सत्र परीक्षण संख्या 180/2016, मु०अ०सं० 83/2016, थाना रौनाही, जिला अयोध्या के प्रकरण में अभियुक्त **उमेश प्रताप सिंह** को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण आज व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। उनके जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं। जमानतदारों को उनके दायित्वों से अवमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा दं०प्र०सं० की धारा 437 ए के अनुसार पचास–पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो–दो प्रतिभू 07 दिवस के अन्दर छः माह की समय अवधि हेतु दाखिल किये जाये। शिव वरदान, घनश्याम एवं केदारनाथ के विरूद्ध पृथक से मिथ्या साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर धारा 383 B.N.S.S के अन्तर्गत वाद दर्ज किये जाये। माल मुकदमा नियमानुसार विनष्ट किया जाये। इस निर्णय की प्रतिलिपि अन्य दोनों सत्र परीक्षण वादों की पत्रावली में रखीं जायें। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक 02.07.2026

(सुरेन्द्र मोहन सहाय)
J.O.Code–U.P6117
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जनपद अयोध्या

निर्णय मेरे द्वारा आज हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक 02.07.2026

(सुरेन्द्र मोहन सहाय)
J.O.Code–U.P6117
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जनपद अयोध्या